राजस्थान–सरकार

तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर

W-6, Gorav path, Residency Road, Jodhpur

Ph.0291-2433298 Email: jodhpur.dte@gmail.com, Website: www.dte.rajasthan.gov.in,

क्रमांक : एफ–5(स्थानान्तरण)/तशिनि/ई–2/2023–24/6986 दिनांकः 23/8/2023

प्रधानाचार्य,
राजकीय सह–शिक्षा पॉलिटेक्निक/राजकीय महिला पॉलिटेक्निक
समस्त।

विषय : द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों के एक पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से दूसरे पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की उसी शाखा में स्थानान्तरण बाबत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है :–

1. आपकी संस्थान में अध्ययनरत् प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के सभी विषयों में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के वर्ष 2023–24 में एक पॉलिटेक्निक से दूसरे पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की उसी शाखा में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी नीतिगत दिशा–निर्देश, आवेदन पत्र (Format:ST-1) एवं अन्य दिशा–निर्देश इस पत्र के संलग्न किये जा रहे हैं तथा विभागीय वेबसाईट **http://dte.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध करवाये गये हैं। दिशा–निर्देश एंव आवेदन पत्र की प्रतियॉ नोटिस बोर्ड पर चस्पा करे। विद्यार्थियों की सुविधा हेतु आवेदन पत्र की अतिरिक्त प्रतियॉ निकाल कर उन्हें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करे।
2. इस कार्य हेतु महत्वपूर्ण तिथियॉ निम्न अनुसार रहेगी :
   - **a.** महाविद्यालय स्थानान्तरण के इच्छुक विद्यार्थियों से आवेदन पत्र दिनांक 28.08.2023 से 05.09.2023 तक भरवाये जाकर जमा किये जाये।
   - **b.** पूर्ण रूप से भरे गये आवेदनों की जॉच कर संलग्न Format:ST-2 में दिनांक 06.09.2023 तक मूल/ई–मेल से (Soft Copy Excel formet) में संलग्न कर आवश्यक रूप से निदेशालय को प्रेषित किये जाये।
   - **c.** संस्थान में ब्रांच वार अध्ययनरत् विद्यार्थियों का विवरण Format:ST-3 में दिनांक 06.09.2023 तक मूल/ई–मेल से (Soft Copy Excel formet) आवश्यक रूप से निदेशालय को प्रेषित किये जावें।
   - **d.** यदि आपकी संस्थान से किसी भी अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया है तो भी ऐसी अवस्था में Format:ST-3 की मूल सूचना/ई–मेल से (Soft Copy Excel formet) से प्रेषित की जावें।
3. छात्र स्थानान्तरण के आवेदन–पत्र अग्रेषित करने से पूर्व उनमें की गई प्रविष्ठियों को भलीभांति जांच लें तथा निम्न तथ्यों पर विशेष ध्यान देते हुए आवेदन–पत्र अग्रेषित करेंः
   - **a.** जो विद्यार्थी ब्रांच परिवर्तन करवाते हैं, उनका अन्य पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में स्थानान्तरण नहीं किया जावेगा। अतः ऐसे अभ्यर्थियों के स्थानान्तरण आवेदन–पत्र अग्रेषित नहीं करें।

b. प्रवेश आवेदन पत्र में उपलब्ध सीट मैट्रिक्स का अवलोकन कर यह सुनिश्चित कर लें कि अभ्यर्थी द्वारा जिस संस्था में स्थानान्तरण चाहा गया हैं, वहां वह शाखा उपलब्ध हैं अथवा नहीं।

c. स्थानान्तरण आवेदन पत्र पर एस.पी.एन. नम्बर/रोल नम्बर स्पष्ट रूप से अंकित हो।

आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को यह अवगत करवाया जाये कि निदेशालय द्वारा एक बार स्थानान्तरण आदेश जारी होने के पश्चात् उसे निरस्त नहीं किया जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

निदेशक, तकनीकी शिक्षा

क्रमांक : एफ–5(स्थानान्तरण)/तशिनि/ई–2/2023–24/

दिनांकः

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त निदेशक एवं सचिव, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।

संयुक्त निदेशक, तकनीकी शिक्षा

Format : ST-1 (सत्र 2023–24)

राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं के स्थानान्तरण हेतु

प्रार्थना पत्र

1.	वर्तमान अध्ययनरत संस्थान का नाम	
2.	छात्र / छात्रा का नाम (हिन्दी में)	
	(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)	
3.	पिता का नाम	
4.	क्या आपका प्रवेश स्व–वित्त पोषित सीट पर हुआ है?	हाँ / नहीं
5.	स्थायी पता मय दूरभाष / मोबाईल नम्बर	
6.	शाखा / वर्ष	.... / ....
7.	नामांकन संख्या	.... / ....
8.	डिप्लोमा की गत परीक्षा का विवरण	रोल नम्बर .... कुल प्राप्तांक .... प्रतिशत ....
9.	संस्थान का नाम जिसमें स्थानान्तरण चाहता / चाहती है।	
10.	प्राथमिकता विवरण (जो लागू ना हो उसे काट दे)	1. छात्रायें (छात्रावास सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में) 2. विकलांग 3. विशिष्ट परिस्थितियों के अन्तर्गत 4. अन्य अभ्यर्थी

–: छात्र / छात्रा द्वारा घोषणा :–

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि उक्त स्थानान्तरण हेतु मैंने अपने माता–पिता / अभिभावक से अनुमति प्राप्त कर ली है एवं स्थानान्तरण आदेश जारी होने पर मैं उसकी अनुपालना करूंगा / करूंगी। शैक्षणिक सत्र 2022–23 में मेरी शाखा परिवर्तित नहीं हुई है।

दिनांकः

छात्र / छात्रा के हस्ताक्षर

प्रार्थना पत्र की अभ्युक्तियों तथा प्राथमिकता विवरण की जांच कर ली गई है एवं सही पाया गया। अतः प्रार्थना पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित है

प्रधानाचार्य, हस्ताक्षर मय सील

आवेदनकर्ता नोट करेः–

1. स्थान रिक्त होने पर ही चाही गई संस्थान में स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।
2. अपना नाम / नामांकन संख्या ;छ्द्ध / रोल नम्बर तथा शाखा पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से अंकित करें। अन्यथा प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।
3. **निदेशालय द्वारा छात्र / छात्रा का स्थानान्तरण आदेश एक बार जारी हो जाने के पश्चात् उसे निरस्त नहीं किया जायेगा।**
4. नियमानुसार एक ही सत्र में ब्रांच परिवर्तन करवाये जाने पर स्थानान्तरण नहीं होंगे।
5. **स्थानान्तरण होने पर आपके महाविद्यालय में सूचना प्रेषित की जायेगी। इस हेतु निदेशालय में सम्पर्क कर अनावश्यक रुप से समय एवं धन व्यय नहीं करे।**

Format : ST-2

पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का नामः ....कोड.........सत्र् 2023—24 में महाविद्यालय स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने वाले समस्त विद्यार्थियों का विवरण

S.No	Student Name	Father Name	SPN No.	Roll No	Bran ch	Year	Percentage	From	To
1									
2									

प्रधानाचार्य

(Format : ST-3 की सूचना स्थानान्तरण हेतु आवेदन शून्य होने पर भी भिजवाया जाना है)

पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का नामः ....कोड.......................संस्थान में वर्तमान सत्र् 2023–24 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का विवरण :

S.No	II Year / III Year	Name of branch	Intake	Number of student	
				Before college Transfer applications	After college Transfer applications
1					
2					

प्रधानाचार्य

एक संस्थान से दूसरी संस्था में उसी शाखा में स्थानान्तरण

(क) एक पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से दूसरे पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में स्थानान्तरण द्वितीय वर्ष अथवा तीसरे वर्ष/(पंचम टर्म) के प्रारम्भ में ही संभव होंगे। किसी भी सत्र के मध्य में स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे।

(ख) निजी संस्थानों के विद्यार्थियों एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का अन्य किसी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में स्थानान्तरण संभव नहीं होगा, परन्तु विद्या भवन पॉलिटेक्निक, उदयपुर के राज्य पोषित ब्रांचों के विद्यार्थियों का स्थानान्तरण राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में संभव होगा।

(ग) सहशिक्षा/महिला पॉलिटेक्निक में एक पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से दूसरे पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में स्थानान्तरण निम्नांकित वरीयता क्रम में किये जावेंगे :

1. छात्राऐं (हॉस्टल सुविद्या उपलब्ध न होने की स्थिति में)
2. विकलांग
3. विशिष्ट परिस्थितियों के अन्तर्गत छात्र
4. अन्य अभ्यर्थी

(घ) संस्था स्थानान्तरण निम्न परिस्थितियों में ही संभव होंगे :

1. जिस पॉलिटेक्निक की जिस ब्रांच में स्थानान्तरण चाहा गया है उसमें विद्यार्थियों की संख्या, प्रथम वर्ष में स्वीकृत प्रवेश क्षमता से अधिक नहीं होगी।
2. जिस पॉलिटेक्निक की जिस ब्रांच से स्थानान्तरण चाहा गया है उसमें स्थानान्तरण के पूर्व एवं स्थानान्तरण के उपरान्त विद्यार्थियों की संख्या प्रवेश क्षमता से 2/3 से कम नहीं होगी।

(ड़) एक पॉलिटेक्निक से दूसरे पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में स्थानान्तरण के आदेश निदेशालय, तकनीकी शिक्षा, जोधपुर द्वारा किये जायेंगे।

च) स्थानान्तरण हेतु इच्छुक छात्र, छात्राऐं निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र निर्धारित तिथि तक संबंधित पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्य को प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार करना संभव नहीं होगा।